निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/SE-05/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस. एस. दरियाल एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों श्री आनन्द पाण्डेय, ले.प. द्वारा दिनांक 21.07.2020 से 24.07.2020 तक श्री आर. एस. नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन, एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.10.2019 से 25.10.2019 तक श्री शशिकान्त पाण्डेय वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - समस्त उत्तराखण्ड

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	2262.02
2018-19	2830.75
2019-20	2854.11

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2017-18	-	-	-	-	559.44	471.15	-	88.29
2018-19	-	-	-	-	663.63	577.58	-	86.05
2019-20	-	-	-	-	615.25	556.83	-	58.42

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -C--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

आबकारी सचिव-आबकारी आयुक्त- अपर आबकारी आयुक्त- संयुक्त आबकारी आयुक्त- उप आबकारी आयुक्त-सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी - आबकारी निरीक्षक-लिपिक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून** लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह --------- को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 07/2019 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर-01 यथोचित कार्यवाही नही किए जाने के परिणामस्वरूप रु. 15.79 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं किया जाना।

प्रस्तर -02 विभागीय शिथिलता से रू 380.44 करोड़ के राजस्व कि हानी।

प्रस्तर -03 निर्धारित राजस्व से कम राजस्व प्राप्त होना ₹ 510.76 करोड।

प्रस्तर -04 आन्तरिक नियन्त्रण के मानदंडों का पालन न किया जाना।

व्यय की लेखापरीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग-दो-(ब)

प्रस्तर-01 यथोचित कार्यवाही नही किए जाने के परिणामस्वरूप रु. 15.79 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं किया जाना।

आयुक्त आबकारी देहरादून द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिलेवार देशी-विदेशी शराब के ब्यवस्थापित दुकानों के सापेक्ष निर्धारित राजस्व जमा नहीं कराये गए दुकानों की सूचना के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार निम्न जनपदों के दुकानों के सापेक्ष कुल रु. 15.79 करोड़ राजस्व बकाया था।

क्रम संख्या	जिले का नाम /दुकान का नाम	कुल निर्धारित राजस्व	कुल प्राप्त राजस्व	अवशेष/बकाया राजस्व
	पौड़ी जनपद			
1	सतपुली	3,24,78,590	2,97,00,000	27,78,590
2	पोखाल	1,71,84,804	1,11,70,123	60,14,681
3	सबदरखाल	1,50,49,053	97,81,884	52,67,169
4	थलीसैण	2,91,14,661	1,89,24,530	10,190,131
5	नौगावखाल	2,67,57,419	1,73,92,322	93,65,097
6	धूमाकोट	1,93,11,897	1,25,52,733	67,59,164
7	नैनीडाडा	1,69,39,339	1,10,10,571	59,28,768
8	पैठानी	3,67,85,296	2,39,10,442	1,28,74,854
	हरिद्वार जनपद			
1	कागड़ी रोड	5,00,00,000	4,95,44,000	4,56,000
	देहरादून जनपद			
1	रतनपुर	बिदेशी		59,85,130
2	कुल्हाल कुंजा	बिदेशी		61,26,074
3	कुल्हान गाव	बिदेशी		22,69,9405
4	सहसपुर	बिदेशी		1,14,60,708
5	राजपुर रोड-3	बिदेशी		1,27,54,250
6	चकराता रोड-1	बिदेशी		1,84,07,450
7	चकराता रोड-2	बिदेशी		62,46,000
8	गांधी रोड	बिदेशी		1,16,42,337
9	प्रेमनगर	देशी		4,63,384
10	कुल्हान गाव	देशी		24,92,815
	कुल बकाया			15,79,12,004

आबकारी नीति 2019-20 में प्रावधानित किया गया था कि अग्रिम भुगतान के आधार पर ही अनुज्ञापी को शराब के उठान आदेश जारी किए जाते हैं फिर भी अनुज्ञापियों पर राजस्व बकाया रहना गंभीर वित्तीय अनियमितता का धोतक है।

जिला स्तरीय कार्यालयों से मुख्यालय को बकाया की आवधिक सूचना यथा मासिक, त्रैमासिक, अर्द्द्वार्षिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में सूचना मुख्यालयों को प्रेषित नहीं की जाती है। प्रश्नगत बकाया का विवरण मांगे जाने पर मुख्यालय द्वारा जिला स्तरीय कार्यालयों से सूचना मगवाकर लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराई गई, जबकि यह सूचना मुख्यालय को आवधिक समीक्षार्थ राजस्व हित में जिलों से मांगी जानी चाहिए थी। अर्थात बकाया की कोई सूचना (आवधिक प्रतिवेदन) नहीं मांगी जाती है और न ही जिला स्तरीय कार्यालयों से भेजी ही जाती है। सूचना के अभाव में राजस्व का अनुवीक्षण (Monitoring) नहीं की जाती जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि "इसकी जांच कर आख्या प्रेषित की जाएगी"। विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि विभागीय स्तर पर आतिथि तक बकाया राजस्व की वसूली हेतु संबन्धित कार्यालयों को कोई निर्देश/आदेश जारी नहीं किया गया है। अतः यथोचित कार्यवाही नही किए जाने के परिणामस्वरूप रु. 15.79 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 02 विभागीय शिथिलता से रू 380.44 करोड़ के राजस्व की हानि।

उत्तराखंड शासन के आबकारी अनुभाग की अधिसूचना दिनांक 07 फरवरी 2019 द्वारा उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं रूपान्तरण आदेश 2002) की धारा 40 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खंड 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 1 सन 1904) (उत्तराखंड राज्य में यथापृवत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस संबंध में विधमान नियमों / आदेशों को अधिक्रमित करके उत्तराखंड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर विक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्न जिलों मे निर्धारित राजस्व पर देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन/आवंटन किए जाने में विभाग असफल रहा फलस्वरूप जनपदवार दुकानों का निर्धारित राजस्व की निम्न राशि अप्राप्त रही जिसका विवरण निम्न सूची मे है।

क्रम संख्या	जिले का नाम	देशी/विदेशी दुकानों की संख्या	निर्धारित राजस्व की राशि (रू)	
1	टिहरी गढवाल	03	21,07,34,811	
2	नैनीताल	08	36,43,80,000	
3	चम्पावत	01	4,60,80,000	
4	अल्मोड़ा	20	43,40,07,492	
5	उत्तरकाशी	01	1,44,30,502	
6	उधम सिंह नगर	33	77,81,01,285	
7	पौड़ी	06	60,19,17,763	
8	बागेश्वर	04	7,86,92,154	
9	पिथौरागढ़	10	11,68,45,923	
10	देहरादून	10	38,51,18,076	
11	हरिद्वार	35	77,40,87,400	
योग		**131**	**380,43,95,406**	

उक्तानुसार 131 देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन/आवंटन नहीं होने के कारण रू 380.44 करोड़ का राजस्व अप्राप्त रहा | जबकि वर्ष 2019-20 नीति दिनांक 07-02-2019 को जारी की गयी थी। जिलेवार राजस्व निर्धारण किस आधार पर किया गया कि जो उक्त वर्ष में कम राजस्व प्राप्त हुआ, दुकानों के चयन और दुकानों के स्थल का चयन किस प्राधिकारी के द्वारा किया गया जबकि अधिसूचना दिनांक 07 फरवरी 2019 के अनुसार जिलेवार राजस्व निर्धारण किया गया था परंतु दुकानों का राजस्व निर्धारण जनपदीय अधिकारियों द्वारा किया गया जो असफल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित जाने पर ईकाई ने अवगत कराया कि समीक्षा कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा |

ईकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं था विभाग को मासिक समीक्षा कर अव्यवस्थित दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जिला आबकारी अधिकारी को समय-समय पर दिये जाने चाहिए थे, जो नहीं दिये गये | जिसके कारण देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन नहीं हो सका था | इस प्रकार विभागीय शिथिलता से रू 380.44 करोड़ कि राजस्व हानि हुई |

अत: राजस्व हानि रू 380.44 करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है|

भाग दो 'ब'

प्रस्तर - 03 निर्धारित राजस्व से कम राजस्व प्राप्त होना ₹ 510.76 करोड।

आयुक्त आबकारी की लेखापरीक्षा में पाया की वर्ष 2019-20 में आबकारी विभाग द्वारा जिलेवार निर्धारित राजस्व के सापेक्ष प्राप्त राजस्व में काफी कमी पायी। जनपद पौडी गढ़वाल में नियत ₹ 129 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 63.52 करोड़ राजस्व प्राप्त की गयी थी जो मात्र 49.2 प्रतिशत थी । अन्य जनपदो में भी निर्धारित राजस्व के सापेक्ष प्राप्ति मात्र 49.2 से 95.3 प्रतिशत राजस्व पाया। किसी भी जनपद द्वारा निर्धारित राजस्व प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, राज्य में कुल निर्धारित राजस्व ₹ 2135 करोड़ के सापेक्ष ₹1624.24 करोड़ की प्राप्ति की गयी जो निर्धारित राजस्व से ₹ 510.76 करोड कम प्राप्त था जिससे राजस्व क्षति हुई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया की अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन न होने के कारण एवं ₹ 15.30 करोड कि वसूली नहीं हुई जिसके कारण राजस्व कम प्राप्त हुआ |

अत: निर्धारित राजस्व लक्ष्य से कम प्राप्त किये जाने से ₹ 510.76 करोड की हानि हुई, प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग दो 'ब'

प्रस्तर -04 आन्तरिक नियन्त्रण के मानदंडों का पालन न किया जाना।

उत्तराखंड शासन के आबकारी अनुभाग की अधिसूचना दिनांक 07 फरवरी 2019 द्वारा उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं रूपान्तरण आदेश 2002) की धारा 40 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खंड 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 1 वर्ष 1904) (उत्तराखंड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जारी की गयी नियमावली 2019 की नियम 33 के अनुसार प्रत्येक आसवनी, ब्रुवरी, बौटिंग प्लांट, वींटनरी, थोक अनुज्ञापन (एफ एल 2) बॉन्ड अनुज्ञापन (बी0 डब्लू एफ एल 2) बार अनुज्ञापन तथा मदिरा की फुटकर दुकानों में IP address युक्त CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था की जानी अनिवार्य है, जिससे संबन्धित अनुज्ञापन की समस्त गतिविधि पर आयुक्तलय स्थित कंट्रोल रूम से नियंत्रण रखा जा सकेगा। नियमावली में की गयी व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि यथाशीघ्र व्यवस्थित करने कि कार्यवाही की जायेगी

अत: आसवनी,बूबरी बौटिग प्लांट आदि में CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था न किये जाने से एवं मुख्यालय से उक्त पर कन्ट्रोल सिस्टम स्थापित न किये जाने के कारण थोक व फुटकर अनुज्ञापन ब्रुवरी आदि पर आयुक्त कार्यालय उचित नियंत्रण रखने में असफल रहा | प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
RS/SE-22/2012-13	-	01,02	-
RS/SE-20/2015-16	01	01	-
RS/SE-91/2018-19	-	01	-
RS/SE-79/2019-20	-	01,02,03,04	01,02,03,

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बंधित प्रकरणों की अनुपालन आख्या सीधे महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत करा दी जायेगी।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   1. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री सुशील कुमार	आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड विगत लेखापरीक्षा मे वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV) को प्रेषित कर दी जाए।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV